

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक

पंचायतीराज

उ०प्र० लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 23 अक्टूबर, 2020

विषय:-14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर के ग्राम पंचायत नकौड़ीखास, विकास खण्ड-बेलघाट को निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि के सापेक्ष योजनाओं की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक ग्राम पंचायत नकौड़ीखास, विकास खण्ड-बेलघाट, जनपद-गोरखपुर को वित्तीय वर्ष 2016-17 की निष्पादन अनुदान के अन्तर्गत रु. 3,74,05,927/- की धनराशि शासनादेश संख्या-27/2020/907/33-3-2020-02/2016 दिनांक 24.04.2020 द्वारा स्वीकृत की गई है। उपरोक्त शासनादेश में दिए गए निर्देश के अनुसार जनपद स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.09.2020 में संस्तुत परियोजनाओं का परीक्षण कर राज्य स्तरीय समिति को संदर्भित किया गया है।

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30.09.2020 में जनपद से प्राप्त परियोजनाओं पर विचार कर संस्तुति की गई। राज्य स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 15.10.2020 निर्गत किया गया है। राज्य स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति के दृष्टिगत संलग्नक-1 पर दिए गए परियोजनाओं के विवरण के अनुसार रु. 3,68,08,115/- लागत की स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष जनपद स्तर पर सक्षम स्तर से प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। जनपद में प्रशासकीय स्वीकृति

निर्गत होने के उपरान्त योजनाओं के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि निदेशक, पंचायती राज 30प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत- नकौड़ीखास, विकास खण्ड-बेलघाट, जनपद गोरखपुर को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम किशत की धनराशि का, 70 प्रतिशत व्यय होने पर 40 प्रतिशत द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी एवं शेष 10 प्रतिशत की तृतीय किशत भौतिक कार्य पूर्ण होने तथा संतोशजनक गुणवत्ता के प्रमाणपत्र के उपरान्त निदेशक, पंचायती राज 30प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत को अवमुक्त की जायेगी।

- 2- इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 14वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-02/2016 दिनांक 18.02.2016 एवं समय-समय पर निर्गत किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
- 3- प्रत्येक कार्य (वर्क आई.डी.) की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा एवं यह जानकारी ई-ग्राम स्वराज के पोर्टल पर प्रोग्रेस रिपोर्ट मद में अंकित की जायेगी। प्रत्येक कार्य (वर्क आई.डी.) के सापेक्ष समस्त भुगतान ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन (जो पी.एफ.एम.एस. साफ्टवेयर से स्वीकृत हो) के माध्यम से किया जायेगा।
- 4- राज्य स्तरीय समिति द्वारा आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तदनुसार प्रस्तावित प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी/प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाने समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है, तो पुनरीक्षित प्रायोजना पर जिला स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 5- निविदा खोलने एवं निविदा मूल्यांकन करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर एक निविदा समिति का गठन किया जायेगा।
- 6- कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर कार्य करने के निर्देश पंचायतों को दिए गए हैं। निविदा डालने हेतु एक टेण्डर बाक्स ग्राम पंचायत में तथा एक टेण्डर बाक्स जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा। दोनों टेण्डर बाक्स एक साथ निविदा समिति के समक्ष खोले जाएंगे।

- 7- जिलाधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे जो समय-समय पर कार्यों का भौतिक सत्यापन व पर्यवेक्षण करेंगे।
- 8- प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- 9- निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रारम्भ किया जायेगा जिससे कॉस्ट ओवर रन, टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
- 10- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- 11- परियोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के लेखों का विवरण पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ में रखा जायेगा।
- 12- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 13- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाये।
- 14- ग्राम पंचायत हेतु स्वीकृत धनराशि का अधिकतम 01 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत, जनपद स्तर व राज्य स्तर पर कार्यों में कन्सलटेंसी सर्विस, पर्यवेक्षण, मॉनीटरिंग व इवोल्युशन के लिए उपयोग की जा सकती है।
15. वित्तीय स्वीकृति जारी के सम्बन्ध में धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार

अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, अन्य मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- यह शासनादेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-01/2020/बी-1-149 /दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम 30 प्र0 इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
- 4- अपर निदेशक, आर.सी.यू.ई.एस., लखनऊ।
- 5- उप निदेशक/सदस्य सचिव, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, 30प्र0।
- 6- जिला पंचायतराज अधिकारी, गोरखपुर।
- 7- ग्राम प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत नकौड़ीखास, विकास खण्ड-बेलघाट, गोरखपुर।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

शासनादेश संख्या- 42/2020/2402/33-3-2020-44/2020 दिनांक 23.10.2020 द्वारा
14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जनपद-गोरखपुर के ग्राम पंचायत-नकौड़ीखास,
विकास खण्ड-बेलघाट को निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि
रु. 3,74,05,927/- के सापेक्ष योजनाओं की स्वीकृति

सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि रु में
इण्टरलॉकिंग सड़कों का निर्माण		
1	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में रामसागर के खेत से वकील के खेत तक इण्टरलॉकिंग का कार्य	1681989
2	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में हरिश्चन्द्र के खेत से रणविजय के खेत तक इण्टरलॉकिंग का कार्य	1681989
3	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में पराग के घर से भाष्कर के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण	1681989
योग		5045967
सी0सी0 रोड निर्माण		
4	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में रवि के घर से बचन के घर तक सी0सी0 रोड एवं भूमिगत नाली निर्माण	1938341
5	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में रामसागर के घर से जवाहिर के घर तक सी0सी0 रोड एवं भूमिगत नाली निर्माण	876272
6	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में बबलू के घर से सोनू के घर तक सी0सी0 रोड एवं भूमिगत नाली निर्माण कार्य	2155256
7	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में पी0डब्लू0डी0 सड़क से अशोक के घर तक सी0सी0 रोड एवं भूमिगत नाली निर्माण कार्य	1838991
8	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में शिवप्रकाश के घर होते हुए देई माता के स्थान से सदानन्द के खेत तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	1837129
9	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में रहीम के घर से मुरली के घर तक सी0सी0 रोड व भूमिगत नाली निर्माण कार्य	630792
10	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में पराग के घर से प्रदुम्न के घर तक सी0सी0 रोड व भूमिगत नाली निर्माण	1941480
11	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में राकेश के घर से विनय के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	287970

12	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में कतवारु के घर से कमलेश के घर होते हुए श्रीराम के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	998356
13	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में पी0डब्लू0डी0 सड़क से दयाशंकर के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	2211661
	योग	14716248
पेयजल से संबन्धित कार्य		
14	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में सार्वजनिक स्थल पर ए0टी0एम0 आर0ओ0 मशीन की स्थापना का कार्य	1500000
	योग	1500000
भवन निर्माण से संबंधित कार्य		
15	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार एवं स्मार्ट क्लास का निर्माण	2283412
16	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में पूर्व प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार	2335841
17	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण	4416510
	योग	9035763
अन्य कार्य		
18	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में सार्वजनिक स्थल पर स्ट्रीट लाईट का कार्य	2070940
19	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में के घाट पर सीढ़ी निर्माण एवं सुन्दरीकरण कार्य	1831265
20	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में ओपेन जिम का निर्माण	999932
21	ग्राम पंचायत नकौड़ी खास में सार्वजनिक स्थल पर डस्टबिन निर्माण कार्य	1608000
	योग	6510137
	महायोग	36808115

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।